न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—50 / 2020 / 223 (2020 / 00050)

1. रवि पुत्र गोरधन सुपौत्र मिश्रीलाल,
2. विनोद पुत्र गारेधन सुपौत्र मिश्रीलाल,
3. श्रीमती प्रेमी पत्नि गोरधन पुत्रवधु मिश्रीलाल,
   समस्त जाति मेघवाल, निवासी दौलतपुरा बलायन (नया गांव), अजमेर रोड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पूनाराम पुत्र गोकुल,
2. रामपाल पुत्र स्व0 छोगालाल,
3. घनश्याम पुत्र भांकर सुपौत्र मिश्रीलाल,
4. बंटी पुत्र भांकर सुपौत्र मिश्रीलाल,
5. सोनू पुत्र भांकर सुपौत्र मिश्रीलाल,
6. श्रीमती सुगनी पत्नि भांकर पुत्रवधु मिश्रीलाल,
7. श्रीमती रूपी पत्नि गोकुल पुत्रवधु मिश्रीलाल,
8. पांचू पुत्र गोकुल सुपौत्र मिश्रीलाल,
   समस्त जाति मेघवाल, नि0 दौलतपुरा बलायन (नया गांव) अजमेर रोड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 7.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 09 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 15.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध अंतर्गत धारा 53 एवं 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा दौलतपुरा बलायन पटवार क्षेत्र देलवाड़ा, भू—अभिलेख क्षेत्र नया नगर, तहसील ब्यावर स्थित वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत् वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की पुश्तैनी कब्जे काश्त और आधिपत्य की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियां वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज छोगालाल

की भूमियां थी । छोगालाल के तीन पुत्र मिश्रीलाल, गोकुल व रामपाल थे जिसके अनुसार तीनों का 1/3, 1/3 हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में निहित था । रामपाल जीवित है तथा मिश्रीलाल व गोकुल के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 है तथा इनके कब्जे काश्त में 1/3, 1/3 हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी ने प्रतिवादीगण को आपस में मिल बैठकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करने को कहा लेकिन उन्होंने बंटवारा करने से इंकार कर दिया। वादी दिनांक 22.2.2010 व 23.2.2010 को अपनी फसल संभालने के लिए खेतों पर गया तो प्रतिवादीगण ने उसे जाने नहीं दिया और झगड़ा फसाद करने की कोशिश की, उस दिन से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है । अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात स्व0 मिश्रीलाल, स्व गोकुल व मौजूदा रामपाल सभी पि0 छोगालाल की संयुक्त अविभाजित भूमियां है जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा संयुक्त एवं अविभाजित है । रामपाल का उक्त वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 का 1/3 हिस्से में से प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व गोकुल के 1/3 हिस्से में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/3 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 7.6.2018 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री मौके पर काबिज अनुसार पारित नहीं किये जाने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 7.6.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 7.6.2018 को अंतिम डिक्री पारित की है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व बंटवारा प्रस्ताव अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है । उक्त बंटवारा प्रस्ताव में अपीलांट के हक में खसरा नंबर 303 के बाबत् जो बंटवारा किया गया है उक्त बंटवारा पूर्णत विधिविरूद्ध है जबकि उक्त खसरा की भूमि के बाबत् जो खसरा संख्या 304 है, उक्त खसरा की भूमि में से भौतिक रूप से अपीलांटस ने बंटवारा प्रस्ताव के खसरा संख्या 303/2 की सीमा में लगातार आगे तक खसरा संख्या 304 पर कांटो की तार की पूर्व में ही बाड़ कर रखाी है एवं भौतिक रूप से वर्तमान में भी कब्जा काश्त खसरा संख्या 304 की सीमा में खसरा नंबर 303/2 की आखिरी सीमा तक कब्जा चला आ रहा है जबकि उक्त खसरा संख्या 304 का जो हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2 को दिया गया है उक्त संपूर्ण हिस्से को रेस्पो0 संख्या 2 के हिस्से में रखे जाने पर अपीलांटस को अपने खेत खसरा संख्या 303/2 में आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है । खसरा नंबर 304 के भाग को अपीलांटस के हक में विभाजन किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है एवं इस बाबत् खसरा संख्या 304 में से जो हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2 के हिस्से में कम हो उक्त हिस्से के बाबत् अपीलांटस अपनी अन्य भूमि में से रेस्पो0 संख्या 2 को भूमि देने को तैयार है । अंतिम डिक्री से पूर्व जो बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का ने पेश किया है वह अपीलांटस की अनुपस्थिति में बनाया गया है एवं भौतिक रूप से वादग्रस्त भूमियों का सत्यापन नही किया गया है । भौतिक रूप से खसरा नंबर 303/2 के साथ अपीलांट का खसरा नंबर 304 के कुछ हिस्से पर पूर्व में हुए बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले

आकर उपयोग करते आ रहे है । बहस में आगे कथन किया कि दिनांक 16.9.2018 को रेस्पो0 संख्या 2 ने अपीलांटस को मौखिक रूप से यह कहा कि खसरा नंबर 303/2 की दक्षिणी पूर्वी दिशा मे खसरा नंबर 304 स्थित है उक्त खसरा संख्या 304 की कुछ सीमा में जो तुम लोगों ने कांटो की तार की बाड लगा रखी है उसे हटा लेना यह पूरा खेत मेरे हक में बंटवारे में आया है । अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को निवेदन किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 2 मान गया है लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री में संशोधन के लिए अधी0न्याया0 से निवेदन किया किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय को अंतिम बताकर संशोधन से इंकार कर दिया । इसलिये यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2018को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि बंटवारा प्रस्ताव के खसरा संख्या 303/2 की दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नंबर 304 के भाग में से खसरा नंबर 303/2 की सीध में आगे तक खसरा संख्या 304 में से भूमि का हिस्सा अपीलांटस के हक में नया बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाकर उक्त मूल वाद को पुन निर्णित व डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस को निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2018 की जानकारी नहीं थी । दिनांक 16.9.2018 को रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा खसरा संख्या 303/2 की दक्षिणी पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 304 की कुछ सीमा में अपीलांटस द्वारा लगाई बाड़ हटाने के लिए कहे जाने पर अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 304 में बाड़ की आराजी की एवज में अन्य आराजी देने को तैयार है जिस पर रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा सहमति दिये जाने पर अधी0न्याया0 के समक्ष निर्णय व डिक्री में संशोधन हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा इंकार किये जाने पर निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि बंटवारा प्रस्ताव अपीलांटस की गैर मौजूदगी में तैयार किये गये है । खसरा संख्या 304 रेस्पो0 संख्या 2 को दिये जाने अपीलांटस के खेत खसरा नंबर 303/2 में आने–जाने का रास्ता बंद हो गया है । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि खसरा संख्या 303/2 के साथ अपीलांट का खसरा संख्या 304 के कुछ हिस्से पर पूर्व के बाहमी बंटवारे में आये हिस्से पर अपीलांटस काबिज होकर उपयोग करता आ रहा है । उक्त खसरा संख्या 303/2 में खसरा संख्या 304 का जितना भाग मिला हुआ है उतनी भूमि अपीलांट रेस्पो0 संख्या 2 को अपने हिस्से में आये अन्य खसरा नंबरान में से भूमि देने को तैयार है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का देलवाड़ा ने दिनांक 6.6.2018 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये है । उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांटस

के हस्ताक्षर नहीं है । जबकि तहसीलदार को स्वंय मौके पर पक्षकारान को पक्षकारान की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित करने चाहिये थे । अपीलांटस/पक्षकारान की गैर मौजूदगी में तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस ने बंटवारा प्रस्ताव में मिले खसरा नंबर 303/2 में रास्ता नहीं होने का भी कथन किया है । बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अधी0न्याया0 को प्रत्येक खातेदार के खेत खसरो में रास्ते बाबत् भी स्पष्ट आदेश पारित करने चाहिये थे । किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारा डिक्री में रास्ते बाबत् किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.6.2018 निरस्त योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 7.6.2018 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर, पक्षकारान के हिस्से में रखे जाने वाली आराजियात में आवागमन हेतु रास्ते के तथ्य को ध्यान में रखकर बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,